राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

क्रमाक–प. 5(31) साप्र/3/82 जयपुर, दिनांकः 10-8-15

–:आज्ञा:–

विषय :– माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण के निवासीय टेलीफोन (बेसिक+मोबाईल+इन्टरनेट + ब्रॉडबैण्ड) पर एक मुश्त मासिक वित्तीय सीमा तक व्यय के निर्धारण बाबत।

माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण के निवास पर बेसिक टेलीफोन/मोबाईल/इन्टरनेट(ब्रॉडबैण्ड) उपलब्ध कराने बाबत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 3.09.2012 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता :–

1. माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण को लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड पर अपनी मासिक वित्तीय सीमांतर्गत इन्टरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक अतिरिक्त सिम का उपयोग कर सकेंगे।
2. माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण को केवल पोस्टपेड सिम/डाटा कार्ड पर ही यह सुविधा देय होगी। इस सिम पर वॉइस कॉल (Voice Call) की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी। किसी भी प्रकार से की गई वॉइस कॉल (Voice Call) का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा।
3. लैपटॉप/टैबलेट/आईपैड पर ही इस सुविधा (वॉइस कॉल की फैसिलिटी नही होगी) का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. अतिरिक्त सिम/डाटा कार्ड की उक्त सुविधा वर्तमान में माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण को निवास हेतु स्वीकृत टेलीफोन हेतु निर्धारित एकमुश्त मासिक वित्तीय सीमा के अंतर्गत ही देय होगी।

यह आज्ञा वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. स0 101502882 दिनांक 27.07.2015 के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव/अति. निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
3. निजी सचिव (वरिष्ठ उप सचिव), मुख्य सचिव।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
5. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय।
6. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय।
7. रक्षित पत्रावली।

(निर्मला परचवानी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

Room No. 1133, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005,
Tel. No. (Jt. Secy)-0141-2227874/9414085447, (AS)9414043554 (SO)-2227776 (Fax)-5116626, 2227928
Website: www.gad.rajasthan.gov.in, Email-gadsec111@rediffmail.com
E:\C B Dhakar Old-\ChandraBhanDhakar\G K Mishra13\Circular2013New.doc